

माफिक नजरी नक्शा एवं तकमीना वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

**— :: आदेश :: —**

यत् राजस्थान काफ्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 388/132 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम-जालनियासर तहसील-डेह के खसरा नं. 132/313 में से तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक 1481 दिनांक 13.07.2023 के अनुसार लाल स्याही पेन से डोटेट अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक 1481 दिनांक 13.07.2023 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्त ग्राम जालनियासर तहसील- डेह के खसरा नं. 132/313 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी गण संख्या 1 से 5 से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक / अप्रार्थीगणों को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करें।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करें। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25-09-23 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी जायल